संख्या-230/2023/663रासनि/23-1-23/005-16आरएसएन/2022

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 27 फरवरी, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 18 मार्गों के स्वीकृत एवं चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न जनपदों के 18 मार्गों के स्वीकृत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 9,90,77,000/- (रूपये नौ करोड़ नब्बे लाख सतहत्तर हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3209/ CE-HQ1/RSN5054/ADY/2022-23						
1	प्रा.ख. बाराबंकी	रामीपुरसम्पर्क मार्ग के पुर्ननिर्माण का कार्य	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी-दिनांक-07-01-2022	52.98	10.6	0.5	41.88	41.88
2	नि.ख.-4 अयोध्या	राष्ट्रीय राजमार्ग पर तहसीनपुर से कटरा दिनकरपुर सम्पर्क मार्ग।	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी-दिनांक-07-01-2022	128.5	32.85	5.57	90.08	64.38
		3210/ CE-HQ1/RSN5054/GKP/2022-23						
3	नि.ख. देवरिया	पथरदेवा बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य।	106/2021/488 रासनि/23-1-21-101 रासनि/20-दिनांक-24-03-2021	426.5	53.32	20.64	352.54	213.25
4	नि.ख. देवरिया	तरकुलवा बन्जरिया मार्ग के किमी-2 से कनकपुरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	106/2021/488 रासनि/23-1-21-101 रासनि/20-दिनांक-24-03-2021	42.73	25.64	11.26	5.83	5.83
5	नि.ख. देवरिया	विकास खण्ड तरकुलवा में राजस्व ग्राम कमधेनवा के मजरें गीता टोला सम्पर्क मार्ग का निर्माण का कार्य।	112 /2021/523 रासनि/23-1-21-41 रासनि/20-दिनांक-24-03-2021	26.08	15.34	6.34	4.4	4.4
		3219/ CE-HQ1/RSN5054/MIR/2022-23						
6	प्रा.ख. मिर्जापुर	लालगंज उपरौंध खास सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	84/2021/136रासनि/23-1-21-81रासनि/2020-दिनांक-13-03-2021	14.85	8.04	0.27	6.54	6.54
		3218/ CE-HQ1/RSN5054/GON/2022-23						
7	नि.ख.-2 गोण्डा	उमरी सेमरी जबरनगर मार्ग (अ0जि0मा0) का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	29/2022/1813 रासनि/23-1-21-09 रासनि/21-दिनांक-06-01-2022	2462.25	2259.57	0.32	202.36	202.36
		3208/ CE-HQ1/RSN5054/BAR/2022-23						
8	प्रा.ख. बरेली	चैना मुरारपुर से चैना गौटिया	61/2021/159 रासनि/23-	72.74	49.6	4.13	19.01	19.01

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		सम्पर्क मार्ग।	1-21-100 रासनि/20-दिनांक-01-03-2021					
9	प्रा.ख. बरेली	भण्डसर मल्लपुर मार्ग से चैना मुरापुर सम्पर्क मार्ग।	61/2021/159 रासनि/23-1-21-100 रासनि/20-दिनांक-01-03-2021	63.28	37.13	7.42	18.73	18.73
10	प्रा.ख. बरेली	एन0एच0-24 के किमी0-239 से बलकोठा होते हुए ठिरिया ठाकुरान मार्ग का पुर्ननिर्माण का कार्य	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20-दिनांक-19-03-2021	73.01	53.45	0.21	19.35	19.35
11	प्रा.ख. पीलीभीत	पीलीभीत बस्ती मार्ग किमी 8 से तकिया ग्राम शिव मंदिर तक सम्पर्क मार्ग (मिसिंग लिंक)।	153/2021/289 रासनि/23-1-21-104 रासनि/20 टीसी-3-दिनांक-16-07-2021	62.89	55.07	0.75	7.07	7.07
12	प्रा.ख. पीलीभीत	पचपेड़ा गौशाला से प्रसादपुर क्रासिंग तक सम्पर्क मार्ग (मिसिंग लिंक)	153/2021/289 रासनि/23-1-21-104 रासनि/20 टीसी-3-दिनांक-16-07-2021	49.21	42.2	0.52	6.49	6.49
13	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	भरतपुर फैजुल्लागंज से हरिउरा सम्पर्क मार्ग	108/2021/560 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20-दिनांक-24-03-2021	50.32	39.29	0.2	10.83	10.83
14	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	जनपद शाहजहॉपुर में तहसील जलालाबाद में परशुराम जन्मस्थली हेतु मन्दिर मार्ग तक सड़क का पुनर्निर्माण एवं सुधार का कार्य।	231/2022/333 रासनि/23-1-22/002-41 आरएसएन/2022-दिनांक-26-08-2022	226.38	22.63	44.34	159.41	113.19
15	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	जनपद शाहजहाँपुर के तहसील जलालाबाद में परषुराम जन्मस्थली हेतु मन्दिर मार्ग का नव निर्माण कार्य	324 /2022/509 रासनि/23-1-22/002-40 आरएसएन/ 2022-दिनांक-07-10-2022	143.57	14.35	22.46	106.76	106.76
		3217/ CE-HQ1/RSN5054/BAN/2022-23						
16	प्रा.ख. चित्रकूट	अहिरन पुरवा मार्ग से भुइहरी तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य	213/2021/908 रासनि/23-1-21-102 रासनि/20-दिनांक-03-10-2021	39.17	11.75	5.51	21.91	19.71
		3215/ CE-HQ1/RSN5054/VNS/2022-23						
17	नि.ख. जौनपुर	तरती हरिजन बस्ती-2 सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	116/2021/637 रासनि/23-1-21-117 रासनि/20-दिनांक-25-03-2021	33.49	31.49	0.81	1.19	1.19
		3220/ CE-HQ1/RSN5054/SAH/2022-23						
18	प्रा.ख. सहारनपुर	एन0एच0-73 (नया एन0एच0-344) के किमी 36 से गागहेड़ी सहारनपुर होते हुए सरसावा तक मार्ग के किमी 11 से 12 में नाला निर्माण का कार्य।	234/2021/891 रासनि/23-1-21-84 रासनि/20-दिनांक-26-10-2021	256.48	125.64	1.04	129.8	129.8
							कुल योग-	990.77

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है ।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पदित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय ।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 9,90,77,000/- (रूपये नौ करोड़ नब्बे लाख सतहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक 5054043375800 राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह

उप सचिव।

संख्या-230/2023/663रासनि/23-1-23/005-16आरएसएन/2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।